Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 18, 2011
(SRAVANA 27, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 18th August, 2011

No. 14—HLA of 2011/51.—*The* Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 14—HLA of 2011

PANDIT BHAGWAT DAYAL SHARMA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ROHTAK (AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Act, 2008.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows: —

1. This Act may be called Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Act, 2011. Short title.

2. In section 2 of Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Act, 2008 (hereinafter called the principal Act),— Amendment of section 2 of Haryana Act 26 of 2008.

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ca) "Dental College, Rohtak" means the Post Graduate Institute of Dental Sciences, Rohtak;';

(ii) in clause (q), the word and sign "Dental." shall be omitted.

Amendment of section 20 of Haryana Act 26 of 2008.

3. In sub-section (1) of section 20 of the principal Act, for the word "Director", the word "University" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Post Graduate Institute of Medical Sciences (PGIMS) Rohtak is presently functioning as a constituent institution of Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak. The Government Dental College. Rohtak at present is working as an integral part of the PGIMS, Rohtak. The management of both the institutions is common.

The Government Dental College, Rohtak was established in 1980. It has completed its 30 years of its inception. The college has made tremendous progress ever since its inception and has achieved excellence in all respects including teaching, patient care, and research activites.

Several reputed Dental Colleges in the country are functioning as independent colleges with separate management. For facilitating further growth and development of the Government Dental College, Rohtak, it is necessary that its management is separated from the management of PGIMS, Rohtak. The Dental College, however, will remain a constituent college of the Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences.

Hence this Bill.

RAO NARENDER SINGH,
Health Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 18th August, 2011.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2011

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान
विश्वविद्यालय रोहतक अधिनियम, 2008,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,-- 2008 के हरियाणा अधिनियम 26 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(गक) "दंत महाविद्यालय, रोहतक" से अभिप्राय है स्नातकोत्तर दंत विज्ञान संस्थान, रोहतक ;';

(ii) खण्ड (थ) में, "डेन्टल," शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) में, "निदेशक" शब्द के स्थान पर "विश्वविद्यालय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2008 के हरियाणा अधिनियम 26 की धारा 20 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पी० जी० आई० एम० एस०) रोहतक इस समय पं० भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के भाग के तौर पर कार्य कर रहा है। राजकीय दन्त महाविद्यालय रोहतक इस समय स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान, रोहतक के एक भाग के तौर पर कार्य कर रहा है। दोनों संस्थाओं का प्रबन्धन भी इकट्ठा है।

राजकीय दन्त महाविद्यालय सन 1980 में स्थापित किया गया था और इसके 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। राजकीय दन्त महाविद्यालय रोहतक ने स्थापना के बाद जबरदस्त उन्नति की है और शिक्षण, रोगियों की सेवाएं तथा अनुसन्धान क्रियाओं आदि सभी में ख्याति हासिल की है।

कई सम्मानित दन्त महाविद्यालय देश में अलग तथा स्वतन्त्र दन्त संस्थान के रूप में काम कर रहे हैं। राजकीय दन्त महाविद्यालय रोहतक की ओर प्रगति व विकास के लिए यह जरूरी है कि इसका प्रबन्धन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान रोहतक के प्रबन्धन से अलग किया जाए। दन्त महाविद्यालय, अलग प्रबन्धन के पश्चात् भी पं० बी० डी० शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भाग रहेगा।

अतः यह विधेयक।

राव नरेन्द्र सिंह,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
18 अगस्त, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।